

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (म.प्र.)

:: पुराने जिला न्यायालय भवन, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर से नवीन जिला न्यायालय भवन (05 मंजिला), ओहदपुर, न्यू कलेक्ट्रेट के पास, ग्वालियर में विस्थापन/परिवहन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना ::

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पुराने जिला न्यायालय भवन से नवीन जिला न्यायालय भवन में समस्त सामान/फर्नीचर एण्ड फिक्चर्स/मालखाना की सम्पत्ति/अभिलेखागार का समस्त अभिलेख/कम्प्यूटर उपकरण विस्थापन किये जाने हेतु इच्छुक संस्थाओं एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदाकर्ता इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से 07.07.2023 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के नजारत अनुभाग से अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क 2,000/- (दो हजार रुपये) का डीडी/नगद जमा कर अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2023 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 08.07.2023 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी एवं प्री बिड मीटिंग दिनांक 24.06.2023 को रखी जाना है। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी MOPRO उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की वेबसाइट www.districts.ecourts.gov.in/gwalior पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)

:: पुराने जिला न्यायालय भवन, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर से नवीन जिला न्यायालय भवन (05 मंजिला), ओहदपुर, न्यू कलेक्ट्रेट के पास, ग्वालियर में विस्थापन/परिवहन निविदा फॉर्म ::

प्रथम पक्ष:- निविदाकर्ता का नाम

पता -.....

.....

मोबाईल नं
आधार कार्ड नं.
पेन कार्ड नं.
उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तो.....
संस्था का जीएसटी नंबर यदि हो तो.....
संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यदि हो तो.....
प्रस्तावित अनुबंध राशि (वार्षिक) अंको एवं शब्दों में.....

द्वितीय पक्ष :- जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर, म.प्र.

-00-

निविदा शर्तें

- 1- पुराने जिला न्यायालय भवन से नवीन जिला न्यायालय भवन (05 मंजिला) में समस्त सामान/फर्नीचर एण्ड फिक्चर्स/मालखाना की सम्पत्ति/अभिलेखागार का समस्त अभिलेख/कम्प्यूटर उपकरण के विस्थापन हेतु आमंत्रित की जा रही हैं।
निविदा की राशि 1500000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।
- 2- पुराने जिला न्यायालय भवन से नवीन जिला न्यायालय भवन में विस्थापन हेतु समस्त व्यय निविदाकर्ता स्वयं वहन करेंगे।
- 3- पुराने जिला न्यायालय भवन से नवीन जिला न्यायालय भवन में निर्देशानुसार यथा स्थान सामान को उठाने और सामान को रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
- 4- न्यायालय के कॉच आदि से संबंधित सामान शीघ्र टूटने वाले सामान को

सुरक्षित बॉक्स में रखते हुए निर्देशानुसार बताये गये स्थान पर स्थापित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता पर होगी।

5- कम्प्यूटर हार्डवेयर से संबंधित समस्त सामग्री सावधानी पूर्वक विस्थापन की जानी होगी। विस्थापन/परिवहन के दौरान टूट-फूट होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

6- पुराने जिला न्यायालय भवन से नवीन जिला न्यायालय भवन में विस्थापन हेतु मालखाना अनुभाग की रखी हुई सम्पत्ति को रखने हेतु लोहे के बक्से बड़े आकार के मय ताले के उपलब्ध करायेगें।

7- किसी प्रकार की क्षति होने पर क्षति की पूर्ति किये जाने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा।

8- कम्प्यूटर हार्डवेयर से संबंधित समस्त सामग्री पुराने जिला न्यायालय भवन से एकत्र कर नवीन जिला न्यायालय भवन में यथा चिन्हित स्थान पर पहुंचाई जावे।

9- विस्थापन किये गये सामान को स्वच्छकर नवीन जिला न्यायालय भवन में स्थापित करने की जिम्मेदारी भी निविदाकर्ता की होगी।

10- जिला न्यायालय के न्यायालयों की समस्त बस्तो में रखी फाइलों को रखने एवं मालखाना सम्पत्ति/अन्य अनुभाग का अभिलेख हेतु लोहे के बक्से मय ताले के बड़े आकार (लगभग 48"x27"27" आकार के लगभग 30 बक्से) निविदाकर्ता उपलब्ध करायेगें।

11- निविदाकर्ता को निविदा फॉर्म के साथ 50,000/- की जमानत राशि प्रधान जिला न्यायाधीश ग्वालियर को देय एफडीआर/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को एफडीआर/डिमाण्ड ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा।

12- सफल निविदाकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की निविदा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर जमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।

13- माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

14- निविदाकर्ता को सिफ्टिंग संबंधी समस्त कार्य 45 दिवस में पूर्ण करना होगा विलम्ब की स्थिति में 1000/- प्रतिदिन की पेनल्टी अधिरोपित की जावेगी।

15- सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प शुल्क 500/- रुपये पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

16- विस्थापन का कार्य प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा।

17- सामान के विस्थापन हेतु लगाये गये मजदूरों को निर्देश देने हेतु निविदाकर्ता कम से कम दो सुपरवाईजर नियुक्त करेगा, जिसकी सूची मय पहचान पत्र निविदा फॉर्म के साथ संलग्न करेगा। सुपरवाईजर होने वाले विस्थापन की सतत रिपोर्टिंग नियमित रूप से कमेटी को करेगा।

18- सामान प्रकृति के अन्य कार्य प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

19- जिला न्यायालय भवन ग्वालियर में फिक्चर्स के स्थापित संरचना को नवीन जिला न्यायालय भवन में विस्थापित किये जाने हेतु निविदाकर्ता स्किल्ड वर्कर को लगाकर स्थापना करवायेगा। विस्थापन के दौरान फिक्चर में सम्मिलित किसी भी संरचना की क्षति होने की दशा में हानि की क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदाकर्ता का रहेगा।


20- स्वीकृत निविदा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।

21- पुराने जिला न्यायालय भवन से नवीन जिला न्यायालय भवन में विस्थापन हेतु लगने वाले मजदूरों का व्यय इत्यादि प्रयोज्य अधिनियमों का पालन निविदाकर्ता को करना होगा।

22- निविदा फॉर्म कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर से कार्यालयीन समय पर दिनांक 07.07.2023 तक 2,000/- (दो हजार रुपये) DD /नगद जमा कर उसकी रसीद के साथ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर में स्वयं उपस्थित अथवा डाक के माध्यम से जमा करायी जा सकती है। प्राप्त निविदा दिनांक 08.07.2023 को निविदाकर्ताओं/प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में दोपहर 02:00 बजे से समिति के समक्ष खोली जावेगी एवं प्री विड मीटिंग दिनांक 24.06.2023 को रखी जाना है। निविदा फॉर्म प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के कार्यालय से अथवा उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/gwalior से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

23- निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर से उनके दूरभाष नं. 9826586446 पर संपर्क किया जा सकता है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर